

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त एक सार्वजनिक गुणवत्ता जांचकर्ता विश्वविद्यालय के नाम से हो किया जावे व कि किसी अन्य प्राधिकरण के नाम से।
सम्बन्धित विषय या यदि पूर्व में यह जांचकर्ता हुआ है तो एक क्रमांक एवं विषयक अक्षर चिह्न जांच निम्नलिखित लिखा हो।



जका : गुणवत्ता
दस्तावेज : (0751) 2541896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2541760

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक/एफ.उम्बद्धता/2012/ 5923

दिनांक: 05/02/13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बाबमोर, मुंबई (07532-255798) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.बी.ए., पाठ्यक्रम कक्षा.पाठ्यक्रमों.विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसंधान प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महाविद्यालयी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-


- (1) प्रो. जे.एन. गौतम, कुलाधिपति, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
- (2) डॉ. योगेश उपाध्याय, विभागाध्यक्ष, प्रबंधन अध्ययनशाळा, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) प्रो. डी.एन. गोस्वामी, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (4) डॉ. के.एस. लकुर, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाळा, जी.वि.वि. ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, एग्रेग्रेट टॉकि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राप्तिपूर्व संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीडा परिसर एवं लाइब्रेररी/आर्किव/लैब तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मंत्र प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधानें अर्पित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक -60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।


गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्थात् जमा कराकर नवीन समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना उन्हीं को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जाएंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को तैप सी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों जी और सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबन्धित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

5